

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)  
(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 फोलोअप कैम्प...रपा.उप.)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 159/22

GCMS NO- 2022/260

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

-उनवान-

मेवाडि

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:निर्णय:-

दिनांक : .....

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का 814 के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 675/109 की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	हावागण	86	मेवाडि पुज 8108/05 हि 17 व 2 2738 व 111	मेवाडि पुज 8108/05 हि 199 8214

M  
उपखण्ड अधिकारी  
(सिविल कमिश्नर, कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी (एल.)  
बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)  
पदेन सहा.कलेक्टर, बुहाना

क्रमांक :- राजस्व / 2022 / 169

दिनांक :- 20/12/22

प्रतिलिपि :- तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बुहाना  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज.)